न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 02/2018
दायर दिनांक :– 22–01–2018
निर्णय दिनांक :– 26–11–2019

अनवान

श्री किशनसिंह पिता रामसिंह गहलोत(राजपुत), उम्र 60 वर्ष, निवासी लसानी, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

———निगराकार

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता रामसिंह गहलोत उम्र 62 वर्ष, निवासी लसानी, तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत लसानी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत लसानी तह0 देवगढ, जिला राजसमन्द

—— गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत लसानी प्रकरण संख्या 16/2009 दिनांक 22.10.2009

उपस्थित :–

1– श्री डुंगर सिंह कर्णावट, अधिवक्ता निगराकार
2– श्री सम्पत लढ्ढा, अधिवक्ता गैर निगराकार

–: निर्णय :–

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट एवं विपक्षी श्री लक्ष्मणसिंह पिता रामसिंह दोनों के संयुक्त स्वामीत्व एवं अधिपत्य के पैतृक मकान का पट्टा विपक्षी को ग्राम पंचायत द्वारा जारी कर दिया जाने से असंतुष्ठ होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत निगरानी के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट (निगराकार) ने निवेंदन किया है कि ग्राम लसानी में स्थित विपक्षी संख्या 1 श्री लक्ष्मण सिंह एवं प्रार्थी किशनसिंह के सयुंक्त स्वामीत्व एवं अधिपत्य के मकान के बारे में पट्टा प्राप्त करने के लिये आवेदन किया आवेदन के साथ उसने एक नक्शा भी उक्त मकान का पेश किया जिसमें उल्लेख किया कि "L" अक्षर से दिखाया गया भाग उसका है तथा "K" अक्षर से दर्शाया गया भाग प्रार्थी किशनसिंह का है और उसने अपने दर्शाये हुए भाग के लिये बापी पट्टा चाहा। परन्तु अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने पूरे ही मकान का पट्टा विपक्षी श्री लक्ष्मण सिंह के नाम पर जारी कर दिया। ग्राम पंचायत का उक्त आदेश न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरित हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी लक्ष्मणसिंह के द्वारा नक्शे में बताए गये उसके भाग के अलावा प्रार्थी के भाग के बारे में भी पट्टा विपक्षी लक्ष्मणसिंह के नाम जारी करने में भारी भूल की है। विपक्षी ने उक्त मामले में अपना शपथ–पत्र भी गलत दिया है। और उसने सारे ही मकान को अपना बताया है जबकि उसने जो नक्शा पेश किया है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि पूरे मकान में आधा भाग प्रार्थी किशन सिंह का है। उक्त मकान पैतृक है किशनसिंह एवं लक्ष्मण सिंह सगे भाई है और उन दोनो का आधे–आधे भाग पर हिस्सा व कब्जा है। जो प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है। प्रार्थी का इस मकान में नल कनेक्शन लिया हुआ है, और प्रार्थी के उक्त मकानों में कमरों पर ताले लगे हुए हैं सामान पडा हुआ हैं और प्रार्थी अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी के भाग के बारे में विपक्षी लक्ष्मणसिंह को बापी पट्टा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं हैं, विपक्षी लक्ष्मणसिंह की और से जिन लोगों ने शपथ–पत्र दिये है उन्होनें भी अपने शपथ–पत्र में लक्ष्मण सिंह के पिता का नाम गलत अंकित किया है और उसकी जगह पर प्रार्थी किशनसिंह का नाम लिख दिया है। प्रार्थी बाहर मजदूरी करता है और कभी–कभी ही अपने घर पर लसानी आता–जाता है, उसे भनक लगी कि विपक्षी लक्ष्मणसिंह मकान का पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही कर रहा हैं तो उसने दिनांक 07.12.2009 को ग्राम पंचायत लसानी में प्रार्थना पत्र पेश कर विपक्षी लक्ष्मणसिंह के नाम पर पट्टा जारी नही करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया उस वक्त भी सरपंच ने प्रार्थी को नहीं बताया कि पट्टा जारी करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षी लक्ष्मणसिंह द्वारा नक्शे में बताए गये उसके भाग के अलावा प्रार्थी के भाग के बारे में भी पट्टा विपक्षी लक्ष्मणसिंह के नाम जारी करने में भारी भूल की है। गैर निगराकार को जारी पटटा निरस्त करते हुये निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार करवाई जावे ।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि प्रार्थी ने तथ्य के रूप में गलत बाते लिखी हैं। अप्रार्थी संख्या एक ने लसानी में स्थित स्वयं के स्वामित्व आधिपत्य मकान के बारे में पट्टा प्राप्त करने के लिये अप्रार्थी संख्या 2 के यहां आवेदन किया तथा स्पष्ट रूप से जैसी स्थिति थी, वैसी बताई कि "L" स्थान पर अप्रार्थी लक्ष्मणसिंह का ताला व "K" स्थान पर प्रार्थी किशनसिंह का ताला लग रहा हैं, चूंकि प्रार्थी, अप्रार्थी

लक्ष्मणसिंह का भाई, एवं प्रार्थी को आवश्यकता थी, तब अस्थायी मुझ अप्रार्थी के यहां रहा था, उसके आवश्यकता खत्म हो गई, तब रहने हेतु खादी भण्डार के पास वाले मकान में चला गया, एवं झूठें झगडे करके जबरदस्ती मेरे मकान पर ताले लगा कर रखें थे, जिसका मतलब स्वामी नहीं हो जाता है। विवादित मकान मेरे हक आधिपत्य का हैं, मैने स्वयं के खर्चे से इसे बनाया हैं तथा प्रार्थी के पास खादी भण्डार वाला मकान हैं। मैने अपने हक आधिपत्य के मकान का पट्टा जारी करवाया, उस बाबत् आपत्ति का अप्रार्थी संख्या एक को कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी मेरे मकान में हक चाहता हैं, तो खादी भण्डार वाला मकान में भी मेरा हिस्सा मान लें। अन्यथा वादग्रस्त मकान मेरे हक आधिपत्य का हैं एवं खादी भण्डार वाला मकान प्रार्थी के हक आधिपत्य का हैं, 15 वर्षो से अलग–अलग रह रहे हैं। अब मैनें जरूरतवश पट्टा बनवाया, तो झुठे झगडे प्रार्थी मिथ्या तथ्यों पर प्रस्तुत कर रहा हैं। निगरानी में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। पंचायत के आदेश में कोई अवैधता नहीं हैं। पंचायत ने एक माह का आपत्ति पत्र निकाला था, किन्तु प्रार्थी या अन्य ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की, तब पंचायत के पास पट्टा जारी करने के सिवाय कोई उपाय नहीं था, एवं पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया हैं। प्रार्थी को सिविल कोर्ट में अपने हक स्थापित करने चाहिये। निगरानी की कलमं संख्या 3 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। अप्रार्थी ने नक्शें में सारी सम्पदा का मालिक स्वयं को स्पष्ट रूपेण दर्शाया है। सिर्फ अस्थायी कब्जें के कारण प्रार्थी का नाम लिखाया है। उसे मालिक के रूप में नहीं दर्शाया हैं। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या एक के हक आधिपत्य के मकान बाबत् अपने हकों की घोषणा सिविल कोर्ट से करवानी पडेगी। प्रार्थी खादी भण्डार के पास का मकान तो स्वयं का अकेले का बताना चाहता हैं एवं वादग्रस्त मकान जो अप्रार्थी संख्या एक का हैं, उसमें भी आधा कपट से चाहता हैं, जो कानून संगत नहीं हैं। निगरानी की कलम संख्या चार में वर्णित तथ्य पूर्णतः मिथ्या व गलत होकर अस्वीकार है। वादग्रस्त मकान पैतृक नहीं हैं, वरन् अप्रार्थी संख्या एक ने नींव सींव से अपने खर्चे पर बनाया हैं, तथा प्रार्थी ने खादी भण्डार के पास स्थित मकान को अपने हिस्से में रख कर अब कपटपूर्वक अप्रार्थी संख्या एक के मकान में हिस्सा प्राप्ति हेतु यह झूठा दावा किया हैं। प्रार्थी का 1/2 हिस्सा होता तो प्रार्थी खादी भण्डार वाले मकान में निवास नहीं करता। प्रार्थी का कोई कनेक्शन मकान में नहीं हैं। प्रार्थी को अप्रार्थी लक्ष्मणसिंह ने भाई होने के नाते 15 वर्ष पूर्व कुछ समय रहने हेतु दिया था। अहसानमन्द प्रार्थी ने मकान खाली नहीं किया, केवल ताले लगा रखे हैं। झूठे झगडे कर रहा है एवं 15 वर्षो से अप्रार्थी संख्या एक को परेशान करके रखा हैं। इस मकान में प्रार्थी का कोई रूपया नहीं लगा हैं। प्रार्थी से मकान खाली करवाने की अप्रार्थी संख्या एक बराबर कोशिश कर रहा हैं तथा प्रार्थी भाई होने का नाजायज फायदा उठा रहा हैं। निगरानी की कलम संख्या पांच में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या एक स्वयं के हक आधिपत्य के मकान के बारे में पट्टा प्राप्त किया हैं। जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, उसमें टाईप मिस्टेक से नाम गलत लिख दिया हैं, परन्तु उससे कोई फर्क नहीं पडता हैं। लक्ष्मण सिंह के पिता राम सिंह लिखना था, जो गलती से किशन सिंह कर दिया गया हैं। ऐसा टाईप मिस्टेक/सहवन से हुआ हैं। निगरानी की कलम संख्या छह में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी खादी भण्डार के पास स्थित मकान में रहता है। बाहर मजदूरी नहीं करता हैं, एवं यह जानते हुए ही पंचायत में आपत्ति प्रस्तुत नहीं की कि उसका कोई हक अधिकार नहीं हैं। दिनांक 22.10.2009 को ही पट्टा जारी हो गया, एवं प्रार्थी को सारे तथ्यों की जानकारी हो गई थी, तभी

उसने दिनांक 7.12.2009 को पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यदि जानकारी नहीं होती तो पंचायत में प्रार्थना पत्र क्यों प्रस्तुत करता? सारी बनावटी व मिथ्या बाते लिखी जा रहीं हैं। प्रार्थी एवं उसके परिवार वाले गाली-गलोच करते हैं तथा किसी भी व्यक्ति को विपक्षी लक्ष्मण सिंह व उसके पति की मदद नहीं करनें देते हैं। विपक्षी लक्ष्मणसिंह को विरासत से प्राप्त सम्पत्ति हैं, उसमें किसी का भी कोई हक, अधिकार नहीं रहता हैं। विरासत से प्राप्त सम्पत्ति का पट्टा ग्राम पंचायत ने दिया हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी रूकावट नहीं है। यदि कोई तकनीकी खामी रही भी हैं, तो उसके आधार पर विपक्षी लक्ष्मणसिंह का पट्टा अवैध नहीं होता हैं। प्रार्थी को यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करनें का अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थी ने जिस आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, उसके सम्बन्ध में अपने हक, अधिकार की घोषणा सक्षम सिविल न्यायालय से नहीं करा लेवे। तब तक आवेदन प्रस्तुत करने की अधिकारी नहीं है। अतः निवेदन है कि विपक्षी लक्ष्मणसिंह को जारी किया गया पट्टा सही एवं वैधानिक है। निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमायी जाकर प्रार्थी का पट्टे के सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी सव्यय खारीज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया गया । इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत लसानी द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन किया गया । राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा पैतृक मकान का पटटा दोनों भाईयों के नाम जारी किया जाना चाहिये था। जो केवल विपक्षी लक्ष्मण सिंह के नाम जारी किया गया है। नक्शें का अवलोकन किया गया, नक्शें पर दोनों भाईयों का अलग-2 प्लॉट दर्शाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण पैतृक मकान का पट्टा विपक्षी लक्ष्मण सिंह के नाम जारी किया गया है, जो गलत एवं विधि विरूद्व है। विवादित भूखण्ड पैतृक होने के कारण ग्राम पंचायत लसानी द्वारा दिनांक 09.11.2009 को जारी पट्टा निरस्त किया जाता है। पत्रावली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उभयपक्षों की सुनवाई कर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नए सिरे से विधि अनुसार संबंधित के पक्ष में पट्टे जारी करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति० जिला कलक्टर
राजसमन्द

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला-राजसमन्द